न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 77/2018

जगदीश सिंह पुत्र गोरधन सिंह उम्र 50 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.......प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर
2. पटवारी हल्का दीनवा लाडखानी

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. का. अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री हैमराज सैनी – प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः–29.05.2019**

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 79/3 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 115/1 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 115/315 रकबा 04 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा पुराना व खसरा नम्बर 126 रकबा 1.1100है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.1100है., खसरा नं. 185 रकबा 3.5700है. नया कुला किता 3 रकबा 5.9700है. वाके ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर पटवार हल्का दीनवा लाडखानी व भू–अभिलेख क्षेत्र बेसवा में अवस्थित है।

उपरोक्त समस्त खसरा में प्रार्थी 1/8 हिस्से की भूमि का काबिज, काश्तकार व खातेदार है। इससे पहले उपरोक्त खसरान की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज थी।

प्रार्थी का असल व वास्तविक नाम जगदीश सिंह पुत्र गोरधान सिंह है किन्तु प्रार्थी के पिता गोरधन सिंह के देहान्त के बाद जब नामान्तकरण भरा गया तब सहवन से रेवन्यू अधिकारी द्वारा रेवन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगमाल सिंह दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है प्रार्थी के समस्त दस्तावेज मतदाता सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, बैक पासबुक व शैक्षणिक दस्तावेज आदि में प्रार्थी का नाम जगदीश सिंह दर्ज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी का नाम रेवन्यू रिकार्ड में जगमाल सिंह दर्ज होने से प्रार्थी को भूमि विकास करने, लोन प्राप्त करने , हस्तान्तिरित आदि करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का हिस्सा हर प्रकार से सुरक्षित है अर्थात किसी भी बैंक आदि से कोई लोन नहीं लिया हुआ है तथा प्रार्थी के हिस्से पर कोई भार इत्यादि भी नहीं है।

अतः प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम जगमाल सिंह को हजफ करवाकर जगदीश सिंह करवाने का मुस्त हक है। खसरा नम्बर 126 रकबा 1.1100है., खसरा नम्बर 184 रकबा

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा जरिये पत्रांक 123 दिनांक 15.01.2019 के प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम जगदीश सिंह दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 126 रकबा 1.1100है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.1100है., खसरा नं. 185 रकबा 3.5700है. नया कुला किता 3 रकबा 5.9700है. वाके ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम जगमाल सिंह के स्थान पर जगदीश सिंह दुरूस्त किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)